

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 84-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 9, 2023 (VAISAKHA 19, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2023

संख्या 16/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1), उप—धारा (3) और उप—धारा (4), धारा 11 की उप—धारा (1), धारा 15 की उप—धारा (5), धारा 16 की उप—धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से सन्तुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46 / एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, क्रम संख्या 9 के सामने, मद (iii) में, उप मद (ख) में, खाना (5) की प्रविष्टि के नीचे, शर्त (2) में,–

- (i) द्वितीय परन्तुक में, "।" के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए विकल्प का प्रयोग 31 मई, 2023 को या उससे पूर्व किया जाएगाः

परन्तु यह और भी कि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेन्सी जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नया व्यापार शुरू करता है या पंजीकरण की श्रेशोल्ड सीमा को पार करता है, तो वह उस वित्तीय वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग, जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने की तिथि से पैंतालीस दिन की समाप्ति से पहले या पंजीकरण प्राप्त हो जाने की तिथि से एक मास की अवधि, जो भी बाद में हो, अनुबंध V में, घोषणा करके कर सकता है।"।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 9th May, 2023

No. 16/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.46/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the Table, against serial number 9, in item (iii), in sub-item (b), in the entiresunder column (5), in condition (2),-

- (i) in the second proviso, for the sign ":" shall be substituted;
- (ii) after the secondproviso, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided also that the option for the Financial Year 2023-2024 shall be exercised on or before the 31st May, 2023:

Provided also that a Goods Transport Agency who commences new business or crosses threshold for registration during any Financial Year, may exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it during that Financial Year by making a declaration in Annexure V before the expiry of forty five days from the date of applying for GST registration or one month from the date of obtaining registration whichever is later.".

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

10364—C.S.—H.G.P., Pkl.